न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश पंचम, हिलसा (नालन्दा)

उपस्थित – श्री संजीव कुमार राय
अपर सत्र न्या0 – V, हिलसा

अग्रिम जमानत आवेदन सं0– 170/2026

थरथरी थाना कांड सं0 09/2026

विनय प्रसाद एवं अन्य ....आवेदकगण

बनाम

बिहार राज्य .... विपक्षी

19.03.2026

अभिलेख आज सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया गया। विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। आवेदकगण 1. विनय प्रसाद 2. मिथिलेश प्रसाद 3. दिवेश प्रसाद 4. संजय प्रसाद 5. देवेन्द्र प्रसाद 6. अजय प्रसाद 7. संजय प्रसाद 8. मुन्ना प्रसाद 9. राजेन्द्र प्रसाद 10. विजय प्रसाद 11. सतीश प्रसाद 12. पप्पु प्रसाद 13. राजेश उर्फ मन्ने प्रसाद 14. धर्मेन्द्र प्रसाद की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता नरेश प्रसाद द्वारा एक आवेदन देकर यह निवेदन किया गया है कि उक्त कांड में आवेदकगण को इस वाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदकगण को बी.एन.एस. की धारा 35(3) के तहत लाभ दिया गया है, इसलिए इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेना चाहते हैं। उक्त आवेदन पर विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा कोई आपति नहीं किया गया है।

सुना। अभिलेख एवं कांड दैनिकी का अवलोकन किया जिसमें आवेदक को इस वाद में अनुसंधानकर्ता द्वारा आवेदकगण को बी.एन.एस. की धारा 35(3) के तहत लाभ दिया गया है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस अग्रिम जमानत आवेदन को वापस लेने की प्रार्थना की गयी है इसलिए आवेदकगण की ओर से दाखिल वापसी से संबधित आवेदन को स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतएव आवेदक की ओर से दाखिल वापसी के आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा अग्रिम जमानत आवेदन को **वापसी** के आधार पर **खारिज** किया जाता है।

(लेखापित)

अपर सत्र न्यायाधीश पंचम
हिलसा(नालन्दा)
दिनांक 19.03.2026